ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 2, March 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 6.551

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | | Impact Factor: 6.551| Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023|

मूलाधिकार और नीति निर्देशक तत्व: अर्थ, स्वरूप एवं पारस्परिक संबंध: एक विवेचनात्मक अध्ययन

Dr. Agnidev

Assistant Professor in Political Science, Babu Shobha Ram Govt. Arts College, Alwar, Rajasthan, India

सार: मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्त्व दोनों ही संवैधानिक ढाँचे के अभिन्न अंग हैं। ये दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और इन्हें एक-दूसरे के संदर्भ में देखा जाना चाहिये।जहाँ मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं वहीं नीति निदेशक तत्त्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं।मौलिक अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देते हैं जो कि लोकतंत्र का आधार हैं, जबकि नीति निदेशक तत्त्व समग्र विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें समाजवाद, उदारवाद, गांधीवाद जैसे मूल्यों का समायोजन है।मौलिक अधिकारों को संविधान का सरंक्षण प्राप्त है और वे न्याय योग्य हैं, जबकि नीति निदेशक तत्त्वों को नहीं। अतः इस दृष्टिकोण से मौलिक अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है।मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिये अनिवार्य रूप से संसाधन उपलब्ध कराता है जबकि नीति निदेशक तत्त्व संसाधनों पर निर्भर है।मौलिक अधिकारों पर युक्ति-युक्त निर्बंधन लोक-व्यवस्था, देश की एकता-अखंडता और सदाचार आदि के आधार पर किया जाता है।मौलिक अधिकारों में संशोधन का आधार भी नीति निदेशक तत्त्व होते है। जैसे संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना व 86वाँ संविधान संशोधन का आधार भी नीति निदेशक तत्त्व है।संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक-आर्थिक न्याय पर अधिक बल दिया गया है जिससे नीति निदेशक तत्त्वों का महत्व स्पष्ट होता है। मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है, जबकि नीति निदेशक तत्त्व सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। दोनों के पूरक होने से समग्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है।मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हितों पर बल देते हैं अतः दोनों पूरक होकर व्यक्ति और समाज में संतुलन स्थापित कर सकते हैं।मौलिक अधिकार बताता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है जबकि नीति निदेशक तत्त्व बताते हैं कि और क्या दिया जाना बाकी है। इस तरह नीति निदेशक तत्त्व मौलिक अधिकार का मार्गदर्शन करता है।सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामले में कहा गया कि निदेशक तत्त्व देश के शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं और संविधान के भाग 3 के उपबंध को इन सिद्धांतों के साथ ही समझा जाना चाहिये।मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ मामले में भाग 3 और भाग 4 को एक दूसरे का पूरक बताया गया। उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में स्पष्ट किया गया कि भाग 3 एवं भाग 4 एक दूसरे के सहायक हैं।चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य वाद 1951 में सर्वप्रथम यह विवाद सामने आया कि मौलिक अधिकार तथा नीति निदेशक तत्त्व में किसे सर्वोच्चता दी जाए। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार प्राथमिक हैं और नीति निदेशक तत्त्व सहायक रूप में है, अतः मौलिक अधिकार सर्वोच्च है।इस निर्णय को प्रभावित करने हेतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा कहा गया कि सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु विशेष उपबंध किया जा सकता है। साथ ही द्वितीय संविधान संशोधन 1955 द्वारा कहा गया कि अगर राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिये संपत्ति का अधिग्रहण करता है और कुछ मुआवज़ा देता है तो इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद, 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों में संशोधन की मनाही कर दी और निदेशक तत्त्व की स्थिति मौलिक अधिकार के अधीनस्थ के रूप में हो गई।उपरोक्त निर्णय को प्रभावी बनाने हेतु 24वाँ संशोधन 1971 लाया गया और कहा गया कि संसद मौलिक अधिकार संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती हैं।25वाँ संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 जोड़कर कहा गया कि 39b, 39c में समाजवादी तत्त्व विद्यमान है जिन्हें लागू करने पर अगर अनुच्छेद 10 19, 31 जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो मान्य नहीं होगा।केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में 24 और 25 वें संशोधन को चुनौती दी गई जहां कोर्ट ने इन्हें संवैधानिक घोषित किया और कहा कि ये मूल ढाँचे का उल्लंघन नहीं करते।आगे चलकर 42वें संशोधन 1976 द्वारा विस्तार दिया गया और कहा गया कि किसी भी नीति निदेशक तत्त्व को लागू करने से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | | Impact Factor: 6.551| Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023|

तो वह मान्य नहीं होगा ।मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद 1980 में 42वें संशोधन को चुनौती दी गई। न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि मौलिक अधिकार एवं निदेशक तत्त्व एक-दूसरे के पूरक हैं और इन्हें अलग-अलग करके नहीं देखना चाहिये।

परिचय

मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य[1] भारत के संविधान के अनुच्छेद हैं जिनमें अपने नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इन अनुच्छेदों में सरकार के द्वारा नीति-निर्माण तथा नागरिकों के आचार एवं व्यवहार के संबंध में एक संवैधानिक अधिकार विधेयक शामिल है। ये अनुच्छेद संविधान के आवश्यक तत्व माने जाते हैं, जिसे भारतीय संविधान सभा द्वारा 1947 से 1949 के बीच विकसित किया गया था।

मूल अधिकारों को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के भाग III में परिभाषित ये अधिकार नस्ल, जन्म स्थान, जाति, पंथ या लिंग के भेद के बिना सभी पर लागू होते हैं। ये विशिष्ट प्रतिबंधों के अधीन अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत सरकार द्वारा कानून बनाने के लिए दिशानिदेश हैं। संविधान के भाग IV में वर्णित ये प्रावधान अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन जिन सिद्धांतों पर ये आधारित हैं, वे शासन के लिए मौलिक दिशानिदेश हैं जिनको राज्य द्वारा कानून तैयार करने और पारित करने में लागू करने की आशा की जाती है।

मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णित ये कर्तव्य व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित हैं। निदेशक सिद्धांतों की तरह, इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

मूल अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों का मूल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में था, जिसने स्वतंत्र भारत के लक्ष्य के रूप में समाज कल्याण और स्वतंत्रता के मूल्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया।[2] भारत में संवैधानिक अधिकारों का विकास इंग्लैंड के अधिकार विधेयक, अमेरिका के अधिकार विधेयक तथा फ्रांस द्वारा मनुष्य के अधिकारों की घोषणा से प्रेरित हुआ।[3] ब्रिटिश शासकों और उनकी भारतीय प्रजा के बीच भेदभाव का अंत करने के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी (INC)) के एक उद्देश्य के साथ-साथ नागरिक अधिकारों की मांग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। आईएनसी (INC) द्वारा 1917 से 1919 के बीच अपनाए गए संकल्पों में इस मांग का स्पष्ट उल्लेख किया गया था।[4] इन संकल्पों में व्यक्त की गई मांगों में भारतीयों को कानूनी रूप से बराबरी का अधिकार, बोलने का अधिकार, मुकदमों की सुनवाई करने वाली जूरी में कम से कम आधे भारतीय रखने, राजनैतिक शक्ति तथा ब्रिटिश नागरिकों के समान हथियार रखने का अधिकार देना शामिल था।[5]

प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों, 1919 के असंतोषजनक मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधारों सुधार और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एम.के.गांधी उभरते प्रभाव के कारण नागरिक अधिकारों के लिए मांगे तय करने के संबंध में उनके नेताओं के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। उनका ध्यान भारतीयों और अंग्रेजों के बीच समानता का अधिकार मांगने से हट कर सभी भारतीयों के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर केंद्रित हो गया।[6] 1925 में एनी बीसेंट द्वारा तैयार किए गए भारत के राष्ट्रमंडल विधेयक में सात मूल अधिकारों की विशेष रूप से मांग की गई थी - व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, लिंग के आधार पर भेद-भाव न करने, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक स्थलों के उपयोग की स्वतंत्रता।[7] 1927 में, कांग्रेस ने उत्पीड़न के खिलाफ निगरानी प्रदान करने वाले अधिकारों की घोषणा के आधार पर, भारत के लिए स्वराज संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन का संकल्प लिया। 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। अपनी रिपोर्ट में समिति ने सभी भारतीयों के लिए मूल अधिकारों की गारंटी सहित अनेक सिफारिशें की थीं। ये अधिकार अमेरिकी संविधान और युद्ध के बाद यूरोपीय देशों द्वारा अपनाए गए अधिकारों से मिलते थे तथा उनमें से कई 1925 के विधेयक से अपनाए गए थे। इन प्रावधानों को बाद में मूल अधिकारों एवं निदेशक सिद्धांतों सहित भारत के संविधान के विभिन्न भागों में ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया था।[8]

1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन में शोषण का अंत करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और भूमि सुधार लागू करने के घोषित उद्देश्यों के साथ स्वयं को नागरिक अधिकारों तथा आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के प्रति समर्पित करने का एक संकल्प पारित किया। इस संकल्प में प्रस्तावित अन्य नए अधिकारों में राज्य के स्वामित्व का निषेध, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मृत्युदंड का उन्मूलन तथा आवागमन की स्वतंत्रता शामिल थे। [9] जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | | Impact Factor: 6.551| Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023|

संकल्प के मसौदे, जो बाद में कई निदेशक सिद्धांतों का आधार बना, में सामाजिक सुधार लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य पर डाली गई और इसी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन पर समाजवाद तथा गांधी दर्शन के बढ़ते प्रभाव के चिह्न दिखाई देने लगे थे।[10] स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण में 1930 के दशक के समाजवादी सिद्धांतों की पुनरावृत्ति दिखाई देने के साथ ही मुख्य ध्यान का केंद्र अल्पसंख्यक अधिकार - जो उस समय तक एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका था - बन गए जिन्हें 1945 में तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने पर जोर देने के अलावा "विधायिकाओं, सरकार और अदालतों के लिए ऐचरण के मानक" निर्धारित करने की भी मांग की गई थी।[11]

ब्रिटिश राज/अंग्रेजी राज के अंतिम चरण के दौरान, भारत के लिए 1946 के कैबिनेट मिशन ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के भाग के रूप में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा का एक मसौदा(प्रारूप) तैयार किया।[12] ब्रिटिश प्रांतों तथा राजसी रियासतों से परोक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी भारत की संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में अपनी कार्यवाही आरंभ की और नवंबर 1949 में भारत के संविधान का मसौदा पूर्ण किया।[13] कैबिनेट मिशन की योजना के मुताबिक, मूल अधिकारों की प्रकृति और सीमा, अल्पसंख्यकों की रक्षा तथा आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए सलाह देने हेतु सभा को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन होना था। तदनुसार, जनवरी 1947 में एक 64 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया, इनमें से ही फरवरी 1947 में मूल अधिकारों पर जे.बी.कृपलानी की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय उप-समिति का गठन किया गया।[14] उप समिति ने मूल अधिकारों का मसौदा तैयार किया और समिति को अप्रैल 1947 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और बाद में उसी महीने समिति ने इसको सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया, जिसमें अगले वर्ष तक बहस और चर्चाएं हुईं तथा दिसंबर 1948 में अधिकांश मसौदे को स्वीकार कर लिया गया।[15] मूल अधिकारों का आलेखन संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार करने, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की गतिविधियों [16] के साथ ही साथ अमेरिकी संविधान में अधिकार विधेयक की व्याख्या में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से प्रभावित हुआ था।[17] निदेशक सिद्धांतों का मसौदे, जिसे भी मूल अधिकारों पर बनी उप समिति द्वारा ही तैयार किया गया था, में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समाजवादी उपदेशों का समावेश किया गया था और वह आयरिश संविधान में विद्यमान ऐसे ही सिद्धांतों से प्रेरित था।[18] मौलिक कर्तव्य बाद में 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे।[19]

संविधान के भाग III में सन्निहित मूल अधिकार, सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं।[20] संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।[21] हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था।[22]

मूल अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा समाज के सभी सदस्यों की समानता पर आधारित लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करना है।[23] वे, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों की परिसीमा के रूप में कार्य करते हैंऔर इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों को यह अधिकार है कि ऐसे किसी विधायी या कार्यकारी कृत्य को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकें।[24] ये अधिकार राज्य, जिसमें अनुच्छेद 12 में दी गई व्यापक परिभाषा के अनुसार न केवल संघीय एवं राज्य सरकारों की विधायिका एवं कार्यपालिका स्कंधों बल्कि स्थानीय प्रशासनिक प्राधिकारियों तथा सार्वजनिक कार्य करने वाली या सरकारी प्रकृति की अन्य एजेंसियों व संस्थाओं के विरुद्ध बड़े पैमाने पर प्रवर्तनीय हैं।[25] हालांकि, कुछ अधिकार - जैसे कि अनुच्छेद 15, 17, 18, 23, 24 में - निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं।[26] इसके अलावा, कुछ मूल अधिकार - जो अनुच्छेद 14, 20, 21, 25 में उपलब्ध हैं, उन सहित - भारतीय भूमि पर किसी भी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति पर लागू होते हैं, जबकि अन्य - जैसे जो अनुच्छेद 15, 16, 19, 30 के अंतर्गत उपलब्ध है - केवल भारतीय नीगरिकों पर लागू होते हैं।[27][28]

मूल अधिकार संपूर्ण नहीं होते तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं।[25] 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1967 के पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यदि इस तरह के किसी संशोधन से संविघान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता हो, तो न्यायिक समीक्षा के अधीन।[29] मूल अधिकारों को संसद के प्रत्येक सदन में दो तिहाई बहुमत से पारित संवैधानिक संशोधन के द्वारा बढ़ाया, हटाया जा सकता है या अन्यथा संशोधित किया जा सकता है।[30] आपात स्थिति लागू होने

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | | Impact Factor: 6.551| Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023|

की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों में से किसी को भी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अस्थाई रूप से निलंबित किया जा सकता है।[31] आपातकाल की अवधि के दौरान राष्ट्रपति आदेश देकर संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी निलंबित कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सिवाय अनुच्छेद 20 व 21 के किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु नागरिकों के सर्वोच्च न्यायालय में जाने पर रोक लग जाती है।[32] संसद भी अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कानून बना कर, उनकी सेवाओं का समुचित निर्वहन सुनिश्चित करने तथा अनुशासन के रखरखाव के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं और पुलिस बल के सदस्यों के मूल अधिकारों के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित कर सकती है।[33]

समानता का अधिकार संविधान की प्रमुख गारंटियों में से एक है। यह अनुच्छेद 14-18 में सन्निहित हैं जिसमें सामूहिक रूप से कानून के समक्ष समानता तथा गैर-भेदभाव के सामान्य सिद्धांत शामिल हैं,[34] तथा अनुच्छेद 17-18 जो सामूहिक रूप से सामाजिक समानता के दर्शन को आगे बढ़ाते हैं।[35] अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, इसके साथ ही भारत की सीमाओं के अंदर सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है। इस में कानून के प्राधिकार की अधीनता सबके लिए समान है, साथ ही समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार।[36] उत्तरवर्ती में राज्य वैध प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण कर सकता है, बशर्ते इसके लिए यथोचित आधार मौजूद हो, जिसका अर्थ है कि वर्गीकरण मनमाना न हो, वर्गीकरण किये जाने वाले लोगों में सुगम विभेदन की एक विधि पर आधारित हो, साथ ही वर्गीकरण के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रयोजन का तर्कसंगत संबंध होना आवश्यक है।[37]

अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी के ही आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अंशतः या पूर्णतः राज्य के कोष से संचालित सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों या सार्वजनिक रिसोर्ट में निशुल्क प्रवेश के संबंध में यह अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय है।[38] हालांकि, राज्य को महिलाओं और बच्चों या अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से राज्य को रोका नहीं गया है। इस अपवाद का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें वर्णित वर्गो के लोग वंचित माने जाते हैं और उनको विशेष संरक्षण की आवस्यकता है।[39] अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है और राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का सार्वजनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनुश्चित करने के लिए उनके लाभार्थ सकारात्मक कार्रवाई के उपायों के कार्यान्वयन हेतु अपवाद बनाए जाते हैं, साथ ही किसी धार्मिक संस्थान के एक पद को उस धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित किया जाता है।[40]

अस्पृश्यता की प्रथा को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध घोषित कर किया गया है, इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।[35] अनुच्छेद 18 राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर किसी को भी कोई पदवी देने से रोकता है तथा कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई पदवी स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार, भारतीय कुलीन उपाधियों और अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई और अभिजात्य उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, भारत रत्न पुरस्कारों जैसे, भारतरत्न को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर मान्य घोषित किया गया है कि ये पुरस्कार मात्र अलंकरण हैं और प्रप्तकर्ता द्वारा पदवी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।[41][42]

संविधान के निर्माताओं द्वारा महत्वपूर्ण माने गए व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देने की दृष्टि से स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19-22 में शामिल किया गया है और इन अनुच्छेदों में कुछ प्रतिबंध भी शामिल हैं जिन्हें विशेष परिस्थितियों में राज्य द्वारा व्यक्तिगं स्वतंत्रता पर लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 नागरिक अधिकारों के रूप में छः प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध हैं।[43] इनमें शामिल हैं(19 अ) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, (19 ब) शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता , भारत के राज्यक्षेत्र में कहीं भी आने-जाने की स्वतंत्रतता, भारत के किसी भी भाग में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता तथा कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। ये सभी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में ही वर्णित कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन होती हैं, दिन्हें राज्य द्वारा उन पर लागू किया जा सकता है। किस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जाना प्रस्तावित है, इसके आधार पर प्रतिबंधों को लागू करने के आधार बदलते रहते हैं, इनमें शामिल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, अपराधों को भड़काना और मानहानि। आम जनता के हित में किसी व्यापार, उद्योग या सेवा का नागरिकों के अपवर्जन के लिए राष्ट्रीयकरण करने के लिए राज्य को भी सशक्त किया गया है।[44]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | | Impact Factor: 6.551| Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023|

अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीशुदा स्वतंत्रताओं की आगे अनुच्छेद 20-22 द्वारा रक्षा की जाती है।[45] इन अनुच्छेदों के विस्तार, विशेष रूप से निर्धारित प्रक्रिया के सिद्धांत के संबंध में, पर संविधान सभा में भारी बहस हुई थी। विशेष रूप से बेनेगल नरसिंह राव ने यह तर्क दिया कि ऐसे प्रावधान को लागू होने से सामाजिक कानूनों में बाधा आएगी तथा व्यवस्था बनाए रखने में प्रक्रियात्मक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, इसलिए इसे पूरी तरह संविधान से बाहर ही रखा जाए।[46] संविधान सभा ने 1948 में अंततः "निर्धारित प्रक्रिया" शब्दों को हटा दिया और उनके स्थान पर “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” को शामिल कर लिया।[47] परिणाम के रूप में एक, अनुच्छेद 21,यह जापान से लिया गया है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने वाली कार्यवाही को छोड़ कर, जीवन या व्यक्तिगत संवतंत्रता में राज्य के अतिक्रमण से बचाता है, के अर्थ को 1978 तक कार्यकारी कार्यवाही तक सीमित समझा गया था। हालांकि, 1978 में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के संरक्षण को विधाई कार्यवाही तक बढ़ाते हुए निर्णय दिया कि किसी प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कानून उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए,[48] और अनुच्छेद 21 में निर्धारित प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पढ़ा।[49] इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत "जीवन" का अर्थ मात्र एक "जीव के अस्तित्व" से कहीं अधिक है; इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार तथा वे सब पहलू जो जीवन को "अर्थपूर्ण, पूर्ण तथा जीने योग्य" बनाते हैं, शामिल हैं।[50] इस के बाद की न्यायिक व्याख्याओं ने अनुच्छेद 21 के अंदर अनेक अधिकारों को शामिल करते हुए इसकी सीमा का विस्तार किया है जिनमें शामिल हैं आजीविका, स्वच्छ पर्यावरण, अच्छा स्वास्थ्य, अदालतों में तेवरित सुनवाई तथा कैद में मानवीय व्यवहार से संबंधित अधिकार। [51] प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21ए में मूल अधिकार बनाया गया है।[52]

अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं पूर्वव्यापी कानून व दोहरे दंड के विरुद्ध अधिकार तथा आत्म-दोषारोपण से स्वतंत्रता प्रदान करता है।[53] अनुच्छेद 22 गिरफ्तार हुए और हिरासत में लिए गए लोगों को विशेष अधिकार प्रदान करता है, विशेष रूप से गिरफ्तारी के आधार सूचित किए जाने, अपनी पसंद के एक वकील से सलाह करने, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उस अवधि से अधिक हिरासत में न रखे जाने का अधिकार।[54] संविधान राज्य को भी अनुच्छेद 22 में उपलब्ध रक्षक उपायों के अधीन, निवारक निरोध के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है।[55] निवारक निरोध से संबंधित प्रावधानों पर संशयवाद तथा आशंकाओं के साथ चर्चा करने के बाद संविधान सभा ने कुछ संशोधनों के साथ 1949 में अनिच्छा के साथ अनुमोदन किया था।[56] अनुच्छेद 22 में प्रावधान है कि जब एक व्यक्ति को निवारक निरोध के किसी भी कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, ऐसे व्यक्ति को राज्य केवल तीन महीने के लिए परीक्षण के बिना गिरफ्तार कर सकता है, इससे लंबी अवधि के लिए किसी भी निरोध के लिए एक सलाहकार बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाना आवश्यक है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को भी अधिकार है कि उसे हिरासत के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा और इसके विरुद्ध जितना जल्दी अवसर मिले अभ्यावेदन करने की अनुमति दी जाएगी।[57]

शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में निहित हैं, इनमें राज्य या व्यक्तियों द्वारा समाज के कमजोर वर्गों का शोषण रोकने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं।[58] अनुच्छेद 23 के प्रावधान के अनुसार मानव तस्करी को प्रतिबन्धित है, इसे कानून द्वारा दंडनीय अपराध बनाया गया है, साथ ही बेगार या किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक दिए बिना उसे काम करने के लिए मजबूर करना जहां कानूनन काम न करने के लिए या पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए हकदार है, भी प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि, यह राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सेना में अनिवार्य भर्ती तथा सामुदायिक सेवा सहित, अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति देता है।[59][60] बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, को इस अनुच्छेद में प्रभावी करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।[61] अनुच्छेद 24 कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक नौकरियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। संसद ने बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया है, जिसमें उन्मूलन के लिए नियम प्रदान करने और बाल श्रमिक को रोजगार देने पर दंड के तथा पूर्व बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए भी प्रावधान दिए गए हैं।[62]

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में निहित है, जो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुसार, यहां कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है और राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ निष्पक्षता और तटस्थता से व्यवहार किया जाना चाहिए।[63] अनुच्छेद 25 सभी लोगों को विवेक की स्वतंत्रता तथा अपनी पसंद के धर्म के उपदेश, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालांकि, यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तथा राज्य की सामाजिक कल्याण और सुधार के उपाय करने की शक्ति के अधीन होते

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | | Impact Factor: 6.551| Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023|

हैं।[64] हालांकि, प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति के धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति के विवेक के अधिकार का हनन होता है।[65] अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों तथा पंथों को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन अपने धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंधन करने, अपने स्तर पर धर्मार्थ या धार्मिक प्रयोजन से संस्थाएं स्थापित करने और कानून के अनुसार संपत्ति रखने, प्राप्त करने और उसका प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देता है। ये प्रावधान राज्य की धार्मिक संप्रदायों से संबंधित संपत्ति का अधिग्रहण करने की शक्ति को कम नहीं करते।[66] राज्य को धार्मिक अनुसरण से जुड़ी किसी भी आर्थिक, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि का विनियमन करने की शक्ति दी गई है।[63] अनुच्छेद 27 की गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।[67] अनुच्छेद 28 पूर्णतः राज्य द्वारा वित्तपोषित शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है तथा राज्य से वित्तीय सहायता लेने वाली शैक्षिक संस्थाएं, अपने किसी सदस्य को उनकी (या उनके अभिभावकों की) स्वाकृति के बिना धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं।[63]

अनुच्छेद 29 व 30 में दिए गए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, उन्हें अपनी विरासत का संरक्षण करने और उसे भेदभाव से बचाने के लिए सक्षम बनाते हुए सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के उपाय हैं।[68] अनुच्छेद 29 अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति रखने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को उनका संरक्षण और विकास करने का अधिकार प्रदान करता है, इस प्रकार राज्य को उन पर किसी बाह्य संस्कृति को थोपने से रोकता है।[68][69] यह राज्य द्वारा चलाई जा रही या वित्तपोषित शैक्षिक संस्थाओं को, प्रवेश देते समय किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव करने से भी रोकता है। हालांकि, यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य द्वारा उचित संख्या में सीटों के आरक्षण तथा साथ ही एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक संस्था में उस समुदाय से संबंधिक नागरिकों के लिए 50 प्रतिशत तक सीटों के आरक्षण के अधीन है।[70]

अनुच्छेद 30 सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी स्वयं की संस्कृति को बनाए रखने और विकसित करने के लिए अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है और राज्य को, वित्तीय सहायता देते समय किसी भी संस्था के साथ इस आधार पर कि उसे एक धार्मिक या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक द्वारा चलाया जा रहा है, भेदभाव करने से रोकता है।[69] हालांकि शब्द "अल्पसंख्यक" को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार इसका अर्थ है कोई भी समुदाय जिसके सदस्यों की संख्या, जिस राज्य में अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अधिकार चाहिए, उस राज्य की जनसंख्या के 50 प्रतिशत से कम हो। इस अधिकार का दावा करने के लिए, यह जरूरी है कि शैक्षिक संस्था को किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किया गया हो। इसके अलावा, अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार का लाभ उठाया जा सकता है, भले ही स्थापित की गई शैक्षिक संस्था स्वयं को केवल संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म या भाषा के शिक्षण तक सीमित नहीं रखती, या उस संस्था के अधिसंख्य छात्र संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध नहीं रखते हों।[71] यह अधिकार शैक्षिक मानकों, कर्मचारियों की सेवा की शर्तों, शुल्क संरचना और दी गई सहायता के उपयोग के संबंध में उचित विनियमन लागू करने की राज्य की शक्ति के अधीन है।[72]

संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाने की शक्ति देता है।[73] अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार के रूप में, अन्य मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए गारंटी प्रदान करता है, संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों के रक्षक के रूप में नामित किया गया है।[74] सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा प्रादेश (रिट, writ) जारी करने का अधिकार दिया गया है, जबकि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 - जो एक मैलिक अधिकार नहीं है - मूल अधिकारों का उल्लंघन न होने पर भी इन विशेषाधिकार प्रादेशों को जारी करने का अधिकार दिया गया है।[75] निजी संस्थाओं के खिलाफ भी मूल अधिकार को लागू करना तथा उल्लंघन के मामले में प्रभावित व्यक्ति को समुचित मुआवजे का आदेश जारी करना भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या जनहित याचिका के आधार पर अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है।[73] अनुच्छेद 359 के प्रावधानों जबकि आपातकाल लागू हो, को छोड़कर यह अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता।[74]

विचार-विमर्श

संविधान के चतुर्थ भाग में सन्निहित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों, में संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तावित आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु मार्गदर्शन के लिए राज्य को निदेश uदिए गए हैं।[76] वे संविधान सभा द्वारा भारत में

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | | Impact Factor: 6.551| Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023|

परिकल्पित सामाजिक क्रांति के लक्ष्य रहे मानवीय और समाजवादी निदेशों को बताते हैं।[77] राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि हालांकि ये प्रकृति में न्यायोचित नहीं हैं, कानून और नीतियां बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाएगा। निदेशक सिद्धांतों को निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है: वे आदर्श जिन्हें प्राप्त करने के लिए राज्य को प्रयास करने चाहिएं; विधायी और कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिHKiए निदेश और नागरिकों के अधिकार जिनकी सुरक्षा करना राज्य का लक्ष्य होना चाहिए।[76]

न्यायोचित न होने के बावजूद निदेशक सिद्धांत राज्य पर एक रोक का काम करते हैं; इन्हें मतदाताओं एवं विपक्ष के हाथों में एक मानदंड के रूप में माना गया है जिससे वे चुनाव के समय सरकार के कार्यप्रदर्शन को माप सकें।[78] अनुच्छेद 37, यह बताते हुए कि निदेशक सिद्धांत कानून की किसी भी अदालत में प्रवर्तनीय नहीं हैं, उन्हें "देश के शासन के लिए बुनियादी" घोषित करता है और विधान के मामलों में इन्हें लागू करने का दायित्व भी राज्य पर डालता है।[79] इस प्रकार वे संविधान के कल्याणकारी राज्य के मॉडल पर जोर देने का काम करते हैं और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्वीकार करते हुए लोगों के कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए, साथ ही अनुच्छेद 38 के अनुसार आय असमानता से लड़ने और व्यक्तिगत गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सकारात्मक कर्तव्यों पर जोर देते हैं।[80][81]

अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों के कुछ सिद्धांत तय करता है, जिनमें सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करना, स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, उचित कार्य दशाएं, कुछ ही लोगों के पास धन तथा उत्पादन के साधनों के संकेंद्रन में कमी लाना और सामुदायिक संसाधनों का “सार्वजनिक हित में सहायक होने” के लिए वितरण करना शामिल हैं।[82] ये धाराएं, राज्य की सहायता से सामाजिक क्रांति लाकर, एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था बनाने तथा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के संवैधानिक उद्देश्यों को चिह्नांकित करती हैं और इनका खनिज संसाधनों के साथ-साथ सार्वजनिक सुविधाओं के राष्ट्रीयकरण को समर्थन देने के लिए उपयोग किया गया है।[83] इसके अलावा, भूसंसाधनों के न्यायसंगत वितरण के सुनिश्चित करने के लिए, संघीय एवं राज्य सरकारों द्वारा कृषि सुधारों और भूमि पट्टों के कई अधिनियम बनाए गए हैं।[84]

अनुच्छेद 41-43 जनादेश राज्य को सभी नागरिकों के लिए काम का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व राहत और एक शालीन जीवन स्तर सुरक्षित करने के प्रयास करने के अधिकार देते हैं।[85] इन प्रावधानों का उद्देश्य प्रस्तावना में परिकल्पित एक समाजवादी की राज्य की स्थापना करना है।[86] अनुच्छेद 43 भी राज्य को कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी देता है और इसको आगे बढ़ाते हुए संघीय सरकार ने राज्य सरकारों के समन्वय से खादी, हैंडलूम आदि को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक बोर्डों की स्थापना की है।[87] अनुच्छेद 39ए के अनुसार राज्य को आर्थिक अथवा अन्य अयोग्यताओं पर ध्यान दिए बिना निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाकर यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के अवसर मिलें।[88] अनुच्छेद 43ए राज्य को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए अधिकार देता है।[86] अनुच्छेद 46 के तहत, राज्य को अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के हितों को प्रोत्साहन देने और उनके आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करने और उन्हें भेद-भाव तथा शोषण से बचाने का अधिकार दिया गया है। इस प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए दो संविधान संशोधनों सहित कई अधिनियम बनाए गए हैं।[89]

अनुच्छेद 44 देश में वर्तमान में लागू विभिन्न निजी कानूनों में विसंगतियों को दूर करके सभी नागरिकों के लिए समान नगगरिक संहिता बनाने के लिए राज्य को प्रोत्साहित करता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रावधानों को लागू करने के लिए अनेक अनुस्मारक दिए जाने के बावजूद यह एक अंधपत्र होकर रह गया है।[90] अनुच्छेद 45 द्वारा मूल रूप में राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया था;[91] लेकिन बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के बाद इसे मूल अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है और छः वर्ष तक की आयु के बच्चों के बचपन की देखभाल सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य पर डाला गया है।[52] अनुच्छेद 47 जीवन स्तर ऊंचा उठाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाने की प्रतिबद्धता राज्य को सौंपी गई है।[92] परिणाम के रूप में कई राज्यों में आंशिक या संपूर्ण निषेध लागू कर दिया गया है, लेकिन वित्तीय मजबूरियों ने इसको पूर्ण रूप से लागू करने से रोक रखा है।[93] अनुच्छेद 48 के द्वारा भी राज्य को नस्ल सुधार कर तथा पशुवध पर रोक लगा कर आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन को संगठित करने की जिम्मेदारी दी गई है।[94] अनुच्छेद 48ए राज्य को पर्यावरण की रक्षा और वनों तथा वन्यजीवों के संरक्षण का आदेश देता है, जबकि अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य को सौंपता है।[95] अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव सुनिश्चित करना है और संघीय कानून

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | | Impact Factor: 6.551| Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023|

बनाकर इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है।[96][97] अनुच्छेद 51 के अनुसार, राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन हेतु प्रयास करने चाहिएं तथआ अनुच्छेद 253 के द्वारा संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियां लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।[98]

नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्णसिंह समिति की सिफारिशों पर, 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे।[19][99] मूल रूप से संख्या में दस, मूल कर्तव्यों की संख्या 2002 में 86वें संशोधन द्वारा ग्यारह तक बढ़ाई गई थी, जिसमें प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके छः से चौदह वर्ष तक के बच्चे या वार्ड को शिक्षा का अवसर प्रदान कर दिया गया है।[52] अन्य मूल कर्तव्य नागरिकों को कर्तव्यबद्ध करते हैं कि संविधान सहित भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का समेमान करें, इसकी विरासत को संजोएं, इसकी मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करें तथा इसकी सुरक्षा में सहायता दें। वे सभी भारतीयों को सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने, पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने, वैज्ञानिक सोच का विकास करने, हिंसा को त्यागने और जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के कर्तव्य भी सौंपते हैं।[100] नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए संविधान द्वारा नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि, निदेशक सिद्धांतों की तरह, ये भी न्यायोचित नहीं हैं, उल्लंघन या अनुपालना न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती।[99][101] ऐसे कर्तव्यों का उल्लेख मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तथा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेखपत्रों में है, अनुच्छेद 51ए भारतीय संविधान को इन संधियों के अनुरूप लाता है।[99]

अब कम ही बच्चे खतरनाक वातावरण में कार्यरत हैं, लेकिन गैर खतरनाक नौकरियों में उनका रोजगार, घरेलू नौकर के रूप में प्रचलन, कई आलोचकों और मानव अधिकार अधिवक्ताओं की नजरों में संविधान की भावना का उल्लंघन करता है। एक करोड़ पैंसठ लाख से अधिक बच्चे रोजगार में हैं।[102] सरकारी अधिकारियों और राजनीतिज्ञों में मौजूद भ्रष्टाचार के स्तर के अनुसार 2005 में भारत 159 देशों की सूची में 88वें स्थान पर था।[103] वर्ष 1990-1991 को बीआर अम्बेडकर की स्मृति में "सामाजिक न्याय वर्ष" घोषित किया गया था।[104] सरकार चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान करती है। 2002-2003 के दौरान रुपये 4.77 करोड़ (477 लाख) इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए थे।[105] अनुसूचित जातियों और जनजातियों को भेदभाव से बचाने के लिए, सरकार ने ऐसे कृत्यों के लिए कड़े दंडों का प्रावधान करते हुए 1995 में अत्याचार निवारण अधिनियम अधिनियमित किया था।[106]

1948 का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सरकार को संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है।[107] उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों का सरल, त्वरित और सस्ता समाधान प्रदान करना और जहां उपयुक्त पाया जाए राहत और मुआवजा दिलाना हैं।[कृपया उद्धरण जोड़ें] समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करता है।[108] सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (यूनिवर्सल ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) 2001 में ग्रामीण गरीबों को लाभदायक रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था।[109]

निर्वाचित ग्राम परिषदों का एक तंत्र पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, यह लगभग भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है।[110] पंचायती राज में प्रत्येक स्तर पर कुल सीटों की संख्या की एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, बिहार के मामले में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।[111][112] जम्मू एवं काश्मीर तथा नागालैंड को छोड़ कर सभी राज्यों और प्रदेशों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है।[105] भारत की विदेश नीति निदेशक सिद्धांतों से प्रभावित है। भारतीय सेना द्वारा संयुक्त राष्ट्र के शांति कायम करने के 37 अभियानों में भाग लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में सहयोग दिया है।[113]

सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन राजनैतिक दलों और विभिन्न धार्मिक समूहों के बड़े पैमाने पर विरोध के कारण हासिल नहीं किया जा सका है। शाह बानो मामले (1985-1986) ने भारत में एक राजनीतिक तूफान भड़का दिया था जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक मुस्लिम महिला शाह बानो जिसे 1978 में उसके पति द्वारा तलाक दे दिया गया था, सभी महिलाओं के लिए लागू भारतीय विधि के अनुसार अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने की हकदार थी। इस फैसले ने मुस्लिम समुदाय में नाराजगी पैदा कर दी जिसने मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करने की मांग की और प्रतिक्रिया में संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को उलटते हुए मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 पारित कर दिया।[114] इस अधिनियम ने आगे आक्रोश भड़काया, न्यायविदों, आलोचकों और नेताओं ने आरोप लगाया कि धर्म या लिंग के बावजूद सभी नागरिकों के लिए समानता के मूल अधिकार की विशिष्ट धार्मिक समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | | Impact Factor: 6.551| Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023|

अवहेलना की गई थी। फैसला और कानून आज भी गरम बहस के स्रोत बने हुए हैं, अनेक लोग इसे मूल अधिकारों के कमजोर कार्यान्वयन का एक प्रमुख उदाहरण बताते हैं।[114]

निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के साथ विवाद की स्थिति में कानून की संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया गया है। 1971 में 25वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 31सी में प्रावधान है कि अनुच्छेद 39(बी)-(सी) में निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अवैध नहीं होगा कि वे अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों से अवमूल्यित हैं। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद का सभी निदेशक सिद्धांतों पर विस्तार किया गया था लेकिन ने इस विस्तार को शून्य घोषित कर दिया क्योंकि इससे संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन होता था।[115] मूल अधिकार और निदेशक सिद्धांत दोनों का संयुक्त इस्तेमाल सामाजिक कल्याण के लिए कानूनों का आधार बनाने में किया गया है।[116] केशवानंद भारती मामले में फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपना लिया है कि मूल अधिकार और निदेशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सामाजिक क्रांति के एक ही लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं।[117] इसी प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक कर्तव्यों का प्रयोग मौलिक कर्तव्यों में दिए गए उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने वाले कानूनों की संवैधानिक वैधता बनाए रखने के लिए किया है।[118] इन कर्तव्यों को सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य ठहराया गया है, बशर्ते राज्य द्वारा उनका प्रवर्तन एक वैध कानून के द्वारा किया जाए।[100] सर्वोच्च न्यायालय ने एक नागरिक को अपने कर्तव्य के उचित पालन के लिए प्रभावी और सक्षम बनाने हेतु प्रावधान करने की दृष्टि से राज्य को इस संबंध में निदेश जारी किए हैं।[118]

परिणाम

पारस्परिक संबंधों के कारण एक परिवार, दोस्तों का एक समूह या एक टीम अच्छी तरह से काम करती है। पारस्परिक संबंधों का अर्थ यह है कि आप किसी और के साथ कैसे जुड़ते हैं - जिस तरह से आप उनके साथ संवाद करते हैं या उन्हें समझते हैं, और इसके विपरीत। यह एक दो-तरफ़ा सड़क है जिसके लिए संचार के मुक्त प्रवाह और एक दूसरे की गहरी समझ की आवश्यकता होती है।[111]

माता-पिता और बच्चे के बीच या भाई-बहनों के बीच एक अच्छा पारस्परिक संबंध घर पर सबसे अधिक स्पष्ट होता है। काम पर, यह आपके मैनेजर, जूनियर या सहकर्मी के साथ आपका रिश्ता हो सकता है। विश्वसनीय व्यक्तियों का नेटवर्क बनाना महत्वपूर्ण है जो संकट में आपकी सहायता कर सकते हैं।[34]

यहाँ एक अच्छे पारस्परिक संबंध की कुछ विशेषताएं दी गई हैं:

1. परस्पर निर्भरता

   यदि आपके अपने टीम के सदस्य के साथ एक मजबूत पारस्परिक संबंध हैं, तो मुश्किल होने पर आप एक-दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। कभी-कभी जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, तो कार्य अन्योन्याश्रित होते हैं और इसके लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। अच्छे पारस्परिक संबंध बनाए रखने से आपको और आपके सहयोगियों को संभावित समस्याओं को कम करने और सुचारू रूप से काम करने में मदद मिल सकती है।[89]

2. युद्ध वियोजन

   कार्यस्थल में संघर्ष या चुनौतियों का अनुभव करना आम बात है। भरोसेमंद लोगों के समर्थन के साथ एक अच्छा पारस्परिक संबंध आपको इन असफलताओं का सामना करने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष पर पहुँचने या आम सहमति पर पहुँचने से पहले आप दूसरे व्यक्ति की बात सुनना सीखेंगे।

3. जवाबदेही

   एक मजबूत पारस्परिक संबंध आपको अपने सहयोगियों के साथ अपने काम के प्रति ईमानदार रहने, अपनी गलतियों को स्वीकार करने और अपने निर्णयों के लिए जवाबदेह होने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि आपने कोई गलती की है तो कदम बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी टीम और संगठन को प्रभावित कर सकता है।[67]

4. आदर

   कार्यस्थल संबंधों के सिद्धांतों में से एक अपने सहकर्मियों के प्रति सम्मानपूर्ण होना है। इस तरह आप तालमेल बनाते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। अपने सहकर्मियों के समय और प्रयास का सम्मान करना और उनके काम की सराहना करना स्थायी संबंध बनाने का हिस्सा है।

5. विश्वास

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | | Impact Factor: 6.551| Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023|

एक पारस्परिक संबंध विश्वास पर बनाया गया है। यह काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहने और बदले में उनकी मदद करने के बारे में है। महत्वपूर्ण कार्यों पर उनके साथ मिलकर काम करने के लिए अपने सहकर्मियों पर पर्याप्त भरोसा करना, अपने कार्यभार को साझा करना और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना एक स्वस्थ कार्य वातावरण की नींव है।[55]

काम पर पारस्परिक संबंध

काम पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों का एक स्थायी नेटवर्क बनाना है। यदि आप अपने संगठन में प्रगति करना चाहते हैं तो इसे अकेले करने के बजाय एक टीम के रूप में करें।

कार्यस्थल संबंध भरोसे पर बनते हैं क्योंकि इस तरह आप एक दूसरे की जरूरतों का आकलन कर सकते हैं और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। हड़प्पा शिक्षा का विस्तार नेटवर्क पाठ्यक्रम कार्यस्थल में भरोसे के चार कारकों पर प्रकाश डालता है:[22]

1. साख

यह जटिल कार्यों और चुनौतियों का सामना करने की आपकी क्षमता को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके प्रबंधक को लगता है कि आपके पास सही कौशल है, तो आपके प्रबंधक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आप पर भरोसा कर सकते हैं। यदि आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो कार्यस्थल पर अपनी विश्वसनीयता स्थापित करना महत्वपूर्ण है। आपको अपनी दक्षता के लिए जाने जाने और अपनी टीम का एक मूल्यवान सदस्य बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए।[32]

2. विश्वसनीयता

किसी के आप पर निर्भर होने के लिए, आपको एक विश्वसनीय कर्मचारी के रूप में सामने आना होगा। मान लें कि एक अत्यावश्यक क्लाइंट मीटिंग है लेकिन प्रभारी व्यक्ति बीमार छुट्टी पर है। यदि आप एक विश्वसनीय टीम सदस्य हैं, तो आपके प्रबंधक और सहकर्मियों को पता चल जाएगा कि वे आपके संगठन में आने के लिए आप पर भरोसा कर सकते हैं। कार्य के लिए आगे बढ़ना, भले ही वह आपका अपना न हो, विश्वसनीय होने का हिस्सा है। यह आपके नेटवर्क में विश्वास बनाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

3. खुलापन

कार्यस्थल पर मिलनसार और मैत्रीपूर्ण होना महत्वपूर्ण है। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है। आपको मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने चाहिए, जिसमें आपके सहकर्मी आपके कठिन समय से गुज़रने की स्थिति में आपसे संपर्क कर सकें। बदले में, वे आपके कठिन समय में आपका समर्थन करने को तैयार रहेंगे। हम काम पर काफी समय बिताते हैं, जिससे सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध होना आवश्यक हो जाता है। अन्यथा, यह शत्रुता और संघर्ष का कारण बन सकता है।[45]

4. स्व-अभिविन्यास का स्तर

ऐसे समय होते हैं जब आपको दूसरों की ज़रूरतों को अपने ऊपर रखना पड़ता है। यह आमतौर पर व्यक्तिगत संबंधों में देखा जाता है, लेकिन पेशेवर संबंधों में ऐसा नहीं होता है। यह एक प्रतिस्पर्धी माहौल है, लेकिन इसमें गला काटने की जरूरत नहीं है। यदि आप मदद कर सकते हैं या अपने सहकर्मी के कार्यभार को हल्का कर सकते हैं, तो यह आपको उनके साथ दीर्घकालिक संबंधों को विकसित करने में मदद करेगा। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनके साथ मजबूत बंधन बनाना जीने का एक सार्थक और सार्थक तरीका है।

आपको एक मजबूत नेटवर्क की आवश्यकता क्यों है ।

"नेटवर्किंग का सही मूल्य इस बात से नहीं आता है कि हम कितने लोगों से मिल सकते हैं, बल्कि यह है कि हम कितने लोगों को दूसरों से मिलवा सकते हैं।"[56]

सिमोन सिनेक, लेखक और प्रेरक वक्ता, नेटवर्किंग के सही मूल्य के बारे में बात करते हैं। एक मजबूत नेटवर्क वह है जहां आपके पास सहयोगी और एक समर्थन प्रणाली है जहां लोग एक-दूसरे की तलाश करते हैं। एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करने के संदर्भ में पारस्परिक संबंधों के निर्माण के महत्व को समझा जा सकता है।

यहाँ एक उदाहरण है:

कल्पना कीजिए कि आपका मित्र किसी बंधन में है और तत्काल काम की तलाश कर रहा है। वे वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और मदद के लिए आपसे संपर्क कर रहे हैं। आप अपने नेटवर्क में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मदद कर सकता है। एक महीने के भीतर, आपका मित्र अपनी नई नौकरी में स्थापित हो गया है क्योंकि आप उनकी मदद करने के लिए अपने कनेक्शन का उपयोग करने में सक्षम थे।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | | Impact Factor: 6.551| Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023|

न केवल आपका पेशेवर नेटवर्क आपके दोस्त के लिए आया, बल्कि इसने आपकी सिफारिश पर किसी को स्वीकार करके आप पर अपना विश्वास भी जताया।[78]

एक मजबूत नेटवर्क एक अच्छे एलेवेटर पिच की तरह है। आपका परिचय या आपका लिफ्ट पिच वह है जो आपको दरवाजे पर पैर रखता है। यह 30 सेकंड का आत्म-परिचय इस बात की झलक है कि आप कौन हैं और आपकी क्षमता क्या है। आपका नेटवर्क आपके पेशेवर अनुभव और उपलब्धियों का भी प्रतिबिंब है।

नेटवर्किंग नहीं है ...

अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना तब आसान हो जाता है जब आपके पास लोगों का झुकाव हो। साथ ही, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नेटवर्किंग क्या नहीं है। यह इस बारे में नहीं है:

- सोशल मीडिया पर अधिक फॉलोअर्स प्राप्त करना, जिसका आपकी पेशेवर आकांक्षाओं से कोई सीधा संबंध नहीं है
- इसके लिए बस व्यवसाय कार्डों का आदान-प्रदान करें
- नेटवर्किंग इवेंट्स में भाग लेना ताकि आप शक्तिशाली उद्योग पेशेवरों के साथ संबंध बना सकें

पारस्परिक संबंध बनाना सामाजिक या आउटगोइंग होने के बारे में नहीं है। यह पेशेवर सेटिंग में रणनीतिक, सम्मानजनक और भरोसेमंद संबंध बनाने के बारे में है। उदाहरण के लिए, यदि आप कला उद्योग में काम करते हैं, तो आपके पेशेवर नेटवर्क में कलाकार, क्यूरेटर और गैलरी के मालिक शामिल होंगे। आप प्रकाशन या शिक्षा जैसे अन्य उद्योगों के लोगों को भी जान सकते हैं।

हर किसी के पास दूसरों से कुछ न कुछ हासिल करने के लिए होता है लेकिन इस तरह से नहीं जो आपके रिश्ते को परिभाषित करे। यदि आप मदद के लिए किसी से संपर्क कर सकते हैं, तो यह आपके पेशेवर जीवन में मूल्य जोड़ देगा। यदि सही और नैतिक रूप से उपयोग किया जाता है, तो पारस्परिक संबंध आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।[110]

निष्कर्ष

जिस तरह से आप अपने पेशेवर जीवन की कल्पना करते हैं वह दूसरों के समान नहीं हो सकता है। शायद आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं या एक फ्रीलांसर के रूप में काम करना चाहते हैं। फिर भी, पारस्परिक संबंध आपको एक प्रशंसनीय पेशेवर के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। यह विश्वास और निर्भरता का एक सतत चक्र है जिसमें आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं और इसके विपरीत।

स्थायी और सार्थक संबंध बनाने के लिए अपने कौशल और क्षमताओं का उपयोग हड़प्पा के विस्तार नेटवर्क पाठ्यक्रम के केंद्र में है। न केवल आप अपने पेशेवर नेटवर्क का निर्माण करने की मूल बातें सीखेंगे बल्कि रचनात्मक संबंधों को विकसित करने के तरीके भी सीखेंगे। हमारी मूल अवधारणाएं और रूपरेखाएं, जैसे ट्रस्ट समीकरण , आपको नेटवर्किंग के बारे में जानने के लिए आवश्यक सभी चीजें सिखाएंगी। उन लोगों से जुड़े रहें जो आपको नीचे गिराने वालों के बजाय आपको बनाते हैं![118]

संदर्भ

1. "राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व" [Directive Principles of State Policy] (PDF). india.gov.in. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार. पृ° 1. मूल (PDF) से 16 जनवरी 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 नवम्बर 2016.
2. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 50
3. ↑ तायल बी। बी। और जेकब, ए। (2005), इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड डेवलपमेंट्स एंड सिविक्स, पृष्ठ। ए-23
4. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 52–53
5. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 53
6. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 53–54
7. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 54
8. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 54–55

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | | Impact Factor: 6.551| Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023|

9. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 56
10. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 56–57
11. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 57
12. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 15
13. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 19
14. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 61–62
15. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 62–63
16. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 59
17. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 73
18. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 73–74
19. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 131
20. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 50–51
21. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 51
22. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 79
23. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 114
24. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 78–79
25. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 35
26. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 86–87
27. ↑ तायल बी। बी। और जेकब, ए। (2005), इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड डेवलपमेंट्स एंड सिविक्स, पृष्ठ। ए-25
28. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 85
29. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 1647–1649
30. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 1645
31. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 1615–1616
32. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 1617–1618
33. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 129–130
34. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 90
35. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 93–94
36. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 56–57
37. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 88
38. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 90–91
39. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 91
40. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 133–134
41. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 94–95
42. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 164
43. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 167–168
44. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 96–97
45. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 167
46. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 101–102
47. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 104–105
48. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 258
49. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 105–106

50. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 259
51. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 260–261
52. ↑ 86वीं अमेंडमेंट एक्ट, 2002।[
53. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 102
54. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 282–284
55. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 106
56. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 110–112
57. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 107
58. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 110
59. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 110–111
60. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 325
61. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 326
62. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 327
63. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 111
64. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 327–328
65. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 330
66. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 336–337
67. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 343
68. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 345
69. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 115
70. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 346–347
71. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 348–349
72. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 354–355
73. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 391
74. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 122
75. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 123
76. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 137
77. ↑ Austin 1999, पृष्ठ 75
78. ↑ Basu 1999, पृष्ठ 140–142
79. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 140
80. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 141
81. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 448
82. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 448–449
83. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 449–450
84. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 143
85. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 454–456
86. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 456
87. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 144
88. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 453
89. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 457–458
90. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 456–457

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | | Impact Factor: 6.551| Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 2, March 2023|

91. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 457
92. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 459
93. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 144–145
94. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 459–460
95. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 460
96. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 145
97. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 461
98. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 461–462
99. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 465
100. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 131
101. ↑ तायल बी। बी। और जेकब, ए। (2005), इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड डेवलपमेंट्स एंड सिविक्स, पृष्ठ। ए-35
102. ↑ "Child labour in India" जाँचें |url= मान (मदद). India Together. अभिगमन तिथि 27 जून 2006.[
103. ↑ ट्रांसपैरेंसी इंटरनैशनल द्वारा भ्रष्टाचार की धारणा का सूचकांक प्रकाशित।
104. ↑ "Dr। Bhimrao Ambedkar" जाँचें |url= मान (मदद). Dr। Ambedkar Foundation. अभिगमन तिथि 29 जून 2006.[
105. ↑ तायल बी। बी। और जेकब, ए। (2005), इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड डेवलपमेंट्स एंड सिविक्स, पृष्ठ। ए-45
106. ↑ "Prevention of Atrocities Act, 1995" जाँचें |url= मान (मदद). Human Rights Watch. अभिगमन तिथि 29 जून 2006.[
107. ↑ "Minimum Wages Act, 1948" जाँचें |url= मान (मदद). Helplinelaw।com. अभिगमन तिथि 29 जून 2006.[
108. ↑ "Equal Remuneration Act, 1976" जाँचें |url= मान (मदद). IndianLawInfo।com. अभिगमन तिथि 29 जून 2006.[
109. ↑ "Sampoorna Grameen Rozgar Yojana, 2001" (PDF). Ministry of Rural Development, भारत. मूल से पुरालेखित 4 मार्च 2009. अभिगमन तिथि 29 जून 2006.
110. ↑ "Panchayati Raj in India" जाँचें |url= मान (मदद). Poorest Areas Civil Society. अभिगमन तिथि 29 जून 2006.[
111. ↑ 73वीं अमेंडमेंट एक्ट, 1992[
112. ↑ "Seat Reservation for Women in Local Panchayats" जाँचें |url= मान (मदद) (PDF). पृ° 2. अभिगमन तिथि 29 जून 2006.[
113. ↑ "India and संयुक्त राष्ट्र" जाँचें |url= मान (मदद). Permanent Mission of India to the संयुक्त राष्ट्र. अभिगमन तिथि 29 जून 2006.[
114. ↑ "Shah Bano legacy" जाँचें |url= मान (मदद). पृ° 1. अभिगमन तिथि 11 सितम्बर 2006.[
115. ↑ Basu 1993, पृष्ठ 142
116. ↑ hindi Austin 1999, पृष्ठ 114–115
117. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 444
118. ↑ Basu 2003, पृष्ठ 466

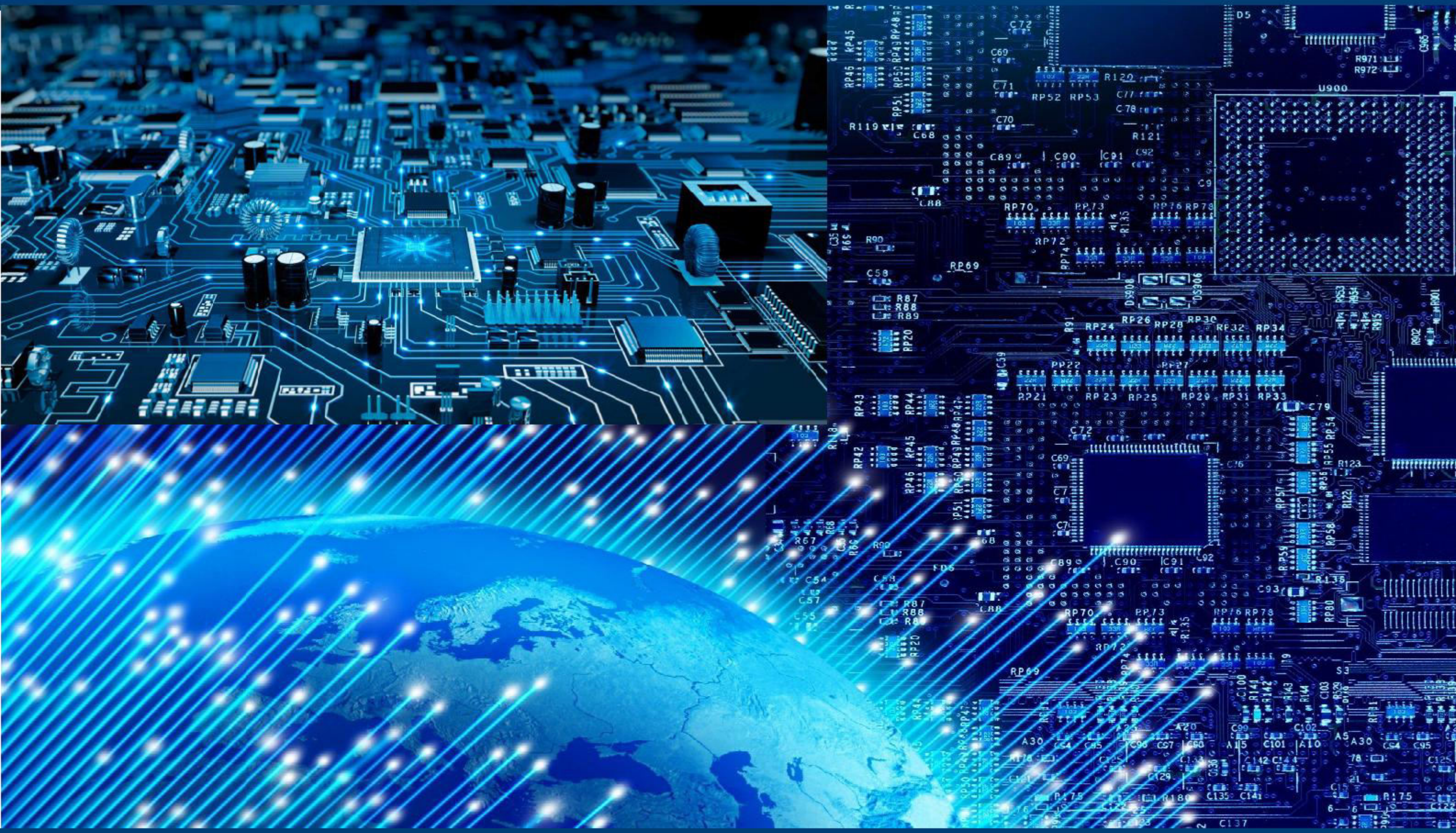

IJARASEM

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |

www.ijarasem.com